कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.02.2019

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के अन्तर्गत कुल 09 नामित अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाना है। जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 के प्रस्तर 08 के अनुसार निम्न अर्हता के व्यक्ति पात्र होंगे–

(I) जिला न्यायालय के स्तर पर जिला न्यायालय में कम से कम 03 वर्ष के अनुभव के साथ विधि व्यवसायी।

उक्त प्रकार के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक 18.02.2019 समय 4:00 बजे तक अपना सम्पूर्ण विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के कार्यालय में जमा कर सकते है तथा कोई ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो, विकृत–चित हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी अपराध में आरोप विरचित किये गये हो या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, वह पात्र नही होंगे।

उपरोक्त शर्तो के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर में **"09 नामित अधिवक्ता "** हेतु आवेदन आमन्त्रित की जाती है।

उक्त विज्ञप्ति की एक–एक प्रति अध्यक्ष/सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एशोसिएशन बुलन्दशहर व अध्यक्ष/सचिव सिविल बार ऐशोसिएशन बुलन्दशहर तथा सिविल न्यायालय बुलन्दशहर, राजस्व न्यायालय बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पर चस्पा की जावे तथा उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेब साईट WWW.districts.ecourts.gov.in/bulandshahr पर डाउनलोड किये जाने हेतु सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित की जावे।

उक्त नियत तिथि दिनांक 18.02.2019 समय 4:00 सांय के पश्चात् किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

(मुन्ना प्रसाद) 12.02.19
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बुलन्दशहर।